नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.17 से 31.03.19
भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) मे संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0)–खण्ड–IV दिनांक 16.10.08 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान नियन्त्रण, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में निम्न सचिव एवं प्रधान कार्यरत्त रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति सावित्री गुप्ता	01.04.17 से 05.09.18 तक
2	श्रीमति वीना ठाकुर	06.11.18 से 31.03.19 तक

(ii) सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अजमेर सिंह	01.04.17 से 01.03.18 तक
2	श्रीमति छवि नैन्टा	05.03.18 से 03.01.19 तक
3	श्री विकास शुक्ला	05.01.19 से 31.03.19 तक

(ख) गम्भीर अनियतिताओं का सारः–

अंकेक्षण अवधि 01.04.17 से 31.03.19 के लेखाओं का अंकेक्षण करने पर पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिपत सार	पैरा सं0	राशि (₹) (लाखों में)
1	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	5.1	75.20
2	अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं	5.2	148.20

	को प्रेषित न करना		
3	दुकानों के किराए की बकाया वसूली शेष	9	3.33
4	गृहकर की बकाया वसूली शेष शेष	10.1	10.72
5	सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण वित्तीय हानि	10.6	5.16
6	नगर पंचायत द्वारा स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना	14	35.15
7	पार्किंग काम्पलैक्स के निर्माण पर निष्फल व्यय किया जाना	16	17.25
8	गौशाला के निर्माण पर निष्फल व्यय किया जाना	18	21.43
9	वेतन का अधिक भुगतान करना	19	0.10

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.17 से 31.03.19 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 27.07.19 से 15.10.19 तक के दौरान श्री हरदेव सिंह शांडिल, सहायक नियन्त्रक द्वारा नगर पंचायत अर्की स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 4/17 तथा 1/19 एवं व्यय के लिए 4/17 व 10/18 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क

अवधि 01.04.17 से 31.03.19 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण करने का शुल्क ₹36000 आंका गया जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6 दिनांक 4.10.19 द्वारा सचिव, नगर पंचायत अर्की से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत अर्की के लेखाओं अवधि 01.04.17 से 31.03.19 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "ख"** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

F.Y.	Accounting Head	Opening Balance (₹)	Income/Receipt (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2017-18	Own Source	3845733.59	2698552.00	6544285.59	4630481.08	1913804.51
	Grant	6670959.00	13175881.00	19846840.00	12856264.00	6990576.00
	Pension Fund	906211.00	219762.00	1125973.00	6816.00	1119157.00
	Total	**11422903.59**	**16094195.00**	**27517098.59**	**17493561.08**	**10023537.51**
2018-19	Own Source	1913804.51	2368476.01	4282280.52	4282280.00	0.52
	Grant	6990576.00	14561216.00	21551792.00	14031814.00	7519978.00
	Pension Fund	1119157.00	156867.00	1276024.00	887852.00	388172.00
	Total	**10023537.51**	**17086559.01**	**27110096.52**	**19201946.00**	**7908150.52**

4.1 दिनांक 31.03.19 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि (₹)
1	जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक	100134001003752 (4647)	388172.00
2	जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक	100134001004625 (4688)	668018.00
3	पंजाब नैशनल बैंक	6518000100012763 (12763)	3308940.36
4	पंजाब नैशनल बैंक	6518000100042551	8580.00

5	यूको बैंक	03920100009843 (9843)	2999453.83
6	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	55136118262 (8262)	451273.32
7	एच0डभ्0एु0सी0	50100228105010	76523.01
8	डाकघर बचत खाता		1523.50
		योग	**7902484.02**
		हस्तगत राशि	**₹940**
		कुल योग	**₹7903424.02**
	दिनांक 31.03.19 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में दर्शाए गए शेषों में अन्तर (7908150.52–7903424.02)		₹4726.50

4.2 बैंक समाधान विवरण दिनांक 31.03.2019

	विवरण	राशि (₹)
	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	7908150.52
Less	डी0डी0सं0 295136 दिनांक 30.01.2017 बैंक में जमा के लिए प्रस्तुत किया गया परन्तु बैंक द्वारा दिनांक 31.03.19 तक खाते में जमा नहीं किए गए	(–)6250
Add	डाकघर में जमा राशि जिसे रोकड़ बही के अन्तिम शेष में नहीं दिखाया गया	(+)1523.50
	दिनांक 31.03.2019 को बैंक व हस्तगत शेष जमा	7903424.02

4.3 बिना लेन–देन वाले बैंक बचत खातों को जारी रखने का औचित्य स्पष्ट न करना

उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक अर्की, के बचत खाता संख्या 4625 (Old 4688) में छह माही ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ है तथा इस बचत खाते में दिनांक 31.03.2019 को ₹668018 अन्तिम शेष जमा अनुपयुक्त पड़े थे, जिससे यह बचत खाता निष्क्रिय सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार डाकघर बचत खाते में भी दिनांक 31.03.2019 को ₹1523.50 अन्तिम शेष जमा अनुपयुक्त पड़े थे जोकि पूर्व अंकेक्षण अवधि 01.04.2010 से 31.03.2015 से शेष चले आ रहे है तथा जिसमें न तो वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ है और न ही इस खाते की पास बुक को अद्यतन किया गया है,

जिससे यह बचत खाता भी निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः इन बचत खातों को बिना वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को नगर पंचायत के अन्य बचत खाते में हस्तान्तरण करवाकर सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

5 अनुदान

सचिव, नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 1.4.2017 से 31.03.2019 तक के दौरान अनुदान की प्राप्तियो एवं व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

5.1 अनुदान की ₹75.20 लाख उपयोग हेतु शेष

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2019 को ₹7519978 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग राशियों को निर्धारित समय के अन्दर सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्था को जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 ₹148.20 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.17 से 31.03.2019 तक के दौरान ₹14820367 के अनुदान से व्यय की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए गए थे। वर्णित अभिलेखों के अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण मे सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाने के साथ–साथ जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5.3 अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2017 से 31.3.19 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

6 सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि

गत अनुच्छेद 4.1 से स्पष्ट है कि ₹7902484 की एक बड़ी राशि बचत खातों में ही जमा रखी गई थी। इस राशि में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाता तो इस राशि पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती थी, परन्तु परिषद द्वारा इसे केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा है, जोकि समुचित वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

7 गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण

नगर पंचायत अर्की के गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत + अनुदान + ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2014—15	9622201.38	9128787.40
2015—16	10138358.00	9934414.88
2016—17	13777687.00	9154206.68

8 **पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि**

नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.2017 से 31.03.2019 तक के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक (₹)	वर्ष के दौरान जमा अंशदान (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2017–18	906211	219762	1115973	6816	1119197
2018–19	1119197	156867	1276024	887852	388172

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि खाते से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी

विवरण	राशि (₹)
रोकड़ बही अनुसार 31.3.19 को अन्तशेष	388172
जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक खाता सं0 4647 / 3752 में दिनांक 31.3.19 को शेष जमा राशि	388172
अन्तिम शेष में अन्तर	शून्य

9 **दुकानों के किराए की बकाया ₹3.33 लाख वसूली हेतु शेष**

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2019 को दुकानों के देय किराए के रूप में ₹333265 वसूली हेतु शेष थे जिसकी वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किये जाए। तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 **दुकानों के बकाया किराये की राशि के आरम्भिक शेष में ₹0.13 लाख का अन्तर**

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "घ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 1.4.17 को दुकानें के देय किराये की वसूली हेतु आरम्भिक शेष की ₹277470 दर्शाई गई है जबकि पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.15 से 31.03.17 के पैरा संख्या 10.1 के अनुसार दिनांक 31.3.17 के दुकानों देय किराये की वसूली हेतु अन्तिम शेष ₹264200 थी। इस प्रकार अन्तिम शेष व आरम्भिक शेष में ₹13270 का अन्तर था जोकि अनियमित है तथा जिसे अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस अन्तर बारे सम्बन्धित अभिलेख अनुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए

अभिलेख का अद्यतन एवं शुद्धिकरण करना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण व नियमानुसार 5 वर्षों के पश्चात किराया बढ़ौतरी न करने के कारण नगर पंचायत को ₹0.27 लाख की वित्तीय हानि

नगर पंचायत के अवधि 01.04.17 से 31.03.19 तक के अंकेक्षण के दौरान दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख/इकरारनामों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करने से नगर पंचायत को ₹27287 की वित्तीय हानि हुई, जबकि आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–एफ–6–1/85 दिनांक 21.12.2001 द्वारा अधिसूचित अधिनियम के नियम 5 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के पश्चात किराये में 10% की बढ़ौतरी तथा दुकानदारों से नियमानुसार अनुबन्ध/इकरारनामों का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2 दिनांक 02.09.2019 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु कोई भी प्रत्युत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा किराये के अनुबन्धों का नवीनीकरण तथा निर्धारित नियमों के अनुसार किराये में बढ़ौतरी सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उक्त वित्तीय हानि की उचित स्त्रोत से भरपाई की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

स्टाल सं0	**नाम**	**मासिक किराया**	**5 वर्ष उपरान्त जिस तिथि से किराये में बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी**	**जिस तिथि से किराया बढ़ाया गया**	**जिस अवधि का किराया नहीं बढ़ाया गया**	**किराये में बढ़ौतरी न करने से कम वसूली गई राशि**	**अनुबन्ध बनाया गया या नहीं**
3	गीता देवी	143	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 13=195	नहीं
6	अभी राम	512	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 47 = 705	1.4.17 से न बना कर 1.10.17 से बनाया गया।
10	राजेश	204	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 19 = 285	अनुबन्ध नहीं

15	मनीराम	72	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 7 = 105	नहीं
16	मेदराम	415	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 42 = 630	नहीं
20/3	सन्त राम	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35 = 525	नहीं
21/4	खेम चन्द	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35= 525	नहीं
22/5	धर्मपाल	396	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 36=540	नहीं
23/6	बोहरू	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35= 525	नहीं
24/7	विजय	396	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 36=540	नहीं
25/8	नरेन्द्र	825	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 75 =1125	नहीं
26/9	जय देवी	440	1.8.16	1.7.18	1.8.16 से 30.6.18	15 x 40=600	हां
27/10	जगत	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35=525	नहीं
28/11	राजेन्द्र	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35=525	नहीं
28/12	सुनीता	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35=525	नहीं

30／13	सुनीता	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35=525	नहीं
31／14	खेमराज	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35=525	नहीं
34／17	धनीराज	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35 =525	नहीं
35／18	हरीराम	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35=525	नहीं
36／19	रचना	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35=525	हाँ
37／20	रामचन्द्र	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35 =525	हाँ
38／12	देबकी	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35 =525	हाँ
40／23	कृष्णा देवी	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35 =525	हाँ
41／25	चेतराम	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 35 =525	हाँ
42	मनोज	583	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 53 =795	हाँ
43	प्रोमिला	880	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 80=1200	नहीं
44	भूपेन्द्र	572	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 52=780	नहीं
47	मोहन	787	1.4.15	1.7.18	1.4.15 से	38 x	नहीं

					30.6.18	72=2736	
48	मनबीर	732	1.4.15	1.7.18	1.4.15 से 30.6.18	67 x 38=2546	नहीं
49	हरीश	220	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 x 20=300	नहीं
51	गोरखिया	1001	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	91 x 15=1365	नहीं
53	जोगिन्द्र सिंह	374	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	35 x 15=525	नहीं
54	दीपक	880	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	80 x 15=1200	नहीं
55	राजेश	1198	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	109 x 15=1635	नहीं
56	बाबू राम	726	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	66 x 15=990	नहीं
58	अमर चन्द	66	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	6 x 15= 90	हाँ
59	बाबू राम	66	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	6 x 15= 90	हाँ
60	जय देव	66	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	6 x 15= 90	हाँ

61	चमन	66	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	6 x 15= 90	हाँ
63	टेक चन्द	66	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	6 x 15= 90	हाँ
64	बाबूराम	121	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	11 x 15= 165	हाँ
					कुल योग	**27287**	

9.3 दुकानों के किराये में दस सालों तक कोई बढ़ौतरी न करने के कारण वित्तीय हानि

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न स्टालो के किरायेदारों से गत 10 सालों तक कोई किराया वृद्धि नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार प्रत्येक 5 वर्ष उपरान्त 10 प्रतिशत की दर से किराये में वृद्धि की जानी अपेक्षित है। अतः किराये में वृद्धि न करने को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार देय तिथि से किराये में अपेक्षित वृद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

स्टॉक सं0	**नाम**	**किराया दर**	**जिस तिथि से किराया बढ़ाया जाना था**	**जिस तिथि से किराया बढ़ाया गया**	**अवधि जिसका किराया बढ़ाया जाना था**
9	भूपेन्द्र सिंह	305	1.6.08	1.7.18	1.6.08 से 30.6.18
12	बलीराम	360	1.4.09	1.7.18	1.4.09 से 30.6.18
17	मदनलाल	715	1.4.09	1.7.18	1.4.09 से 30.6.18
18	कलाबती	330	1.4.09	1.7.18	1.4.09 से 30.6.18
15	स्टोर	—	खाली 1.4.06 से अभी तक		खाली 1.4.06 से अभी तक
50	नरेन्द्र	—	1.4.09	1.7.18	1.4.09 से किराया 360
57	पृथ्वी	440	1.4.10	1.7.18	1.4.10 से 30.6.18

9.4 स्टोर को 13 वर्षों उपरान्त भी किराये पर आबंटित न करने के कारण वित्तीय हानि

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि किराया रजिस्टर की क्रम संख्या 15 पर दर्शाया गया स्टोर पिछले 13 वर्षों से किराये पर न दिये जाने से खाली है जिससे नगर पंचायत को लगातार वित्तीय हानि हो रही है। अतः वर्णित स्टोर को तुरन्त किराये पर देने के प्रयास किये जाये ताकि नगर पंचायत को किराये के रूप मे आय की प्राप्ति हो सके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9.5 दस वर्षों के उपरान्त भी न तो दुकान का बकाया किराया वसूल किया जाना और न ही दुकान खाली करवाई जाना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत ने पत्र संख्याः न0प0अं0 (स्टाल्ज) 09 दिनांक 24.8.09 द्वारा श्री साबर अली की मृत्यु होने पर उसके पुत्र श्री सफी मुहम्मद को दुकान संख्या 14 के बकाया किराया ₹1350 को जमा करने हेतु लिखा गया तथा इसके उपरान्त नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्याः 557 दिनांक 12.4.13 द्वारा श्री सफी मुहम्मद से बकाया किराया वसूल करके दुकान खाली करने के आदेश पारित किये गये थे परन्तु अभी तक न तो उक्त दुकान खाली करवाई गई और न ही उक्त दुकान की बकाया किराया राशि वसूली की गई। इस सन्दर्भ मे मौखिक रूप से बताया गया कि सादिक अली की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा बकाया किराये की वसूली हेतु समयानुसार नियमित रूप से अपेक्षित कार्यवाही न करने के कारण किराये की वसूली सम्भव नहीं हो पाई परिणामतः नगर पंचायत को वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है ताकि नगर पंचायत के हित सुरक्षित हो और वित्तीय हानि को नकारा जा सके।

9.6 अनुबध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का प्रावधान करना

दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में किरायेदारों द्वारा नियमित रूप से प्रतिमाह देय किराया जमा करवाने की अपेक्षा विलम्ब से एक मुश्त राशि के रूप में अपनी सुविधानुसार जमा करवाया गया था तथा किरायेदार से हुए अनुबन्ध में देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का कोई प्रावधान नहीं था, जिसके अभाव में किरायेदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह जमा करवाने का कोई दबाव नहीं रहता। इस की के कारण जहां देय किराये की

वसूली हेतु बकाया राशि बढ़ती रहती है, वहीं नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। अतः इस सम्बन्धत में परामर्श दिया जाता है कि किरायेदार से हुए अनुबन्ध मे देय किराये की राशि को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए ताकि किरायेदारों पर देय किराया नियमित रूप से प्रतिमाह समय पर जमा करवाने का दबाव बना रहे तथा नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति व विकास गतिविधियां भी प्रभावित न हो तदानुसार अपक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी करवाया जाए।

9.7 दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के मालिकों से किराये पर GST की वसूली नहीं की जा रही थी जबकि सरकार द्वारा दिनांक 01.07.17 से Service tax के स्थान पर GST लागू किया गया था तथा इसकी दर 18% निर्धारित की गई है। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो किराया पर GST न वसूल करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अपेक्षित कर की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 गृहकर

10.1 गृहकर की बकाया ₹10.72 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ङ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.19 को गृहकर की बकाया ₹1072376 वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.2 दिनांक 31.03.2019 तक गृह कर/सम्पत्ति कर (Property tax) से सम्बन्धित वसूली हेतु देय राशि की सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** पर दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार वर्ष 2018–19 के गृह कर का नगर पंचायत क्षेत्र के आवासियों के Unit base के आधार निर्धारण (Assessment) किए जाने से सम्बन्धित कार्य अभी प्रगति पर है तथा यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इस कारण वर्ष में कर की कितनी मांग बनती है तथा मांग के विरूद्ध कितनी वसूली की गई है इससे सम्बन्धित आंकड़े नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा साथ ही नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में स्थायी अभिलेख (रजिस्टर आदि) का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है जिसके कारण नगर पंचायत के अन्तर्गत कितने वार्डों में कर निर्धारण

से सम्बन्धित कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कितने वार्डो का लम्बित है। इस तथ्य की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी। अतः नगर पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न वाडों में गृहकर निर्धारण से सम्बन्धित कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करवाया जाये तथा साथ ही सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव व अद्यतन करना भी सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

10.3 गृह कर की बकाया राशि का भुगतान समय पर न करने पर भी गृहकर पर अनियमित रूप से ₹1318 की छूट प्रदान करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार भवन स्वामियों को गृहकर की बकाया राशि का भुगतान समय पर न करने पर भी गृहकर पर अनियमित रूप से ₹1318 की छूट प्रदान की गई थी जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप प्रदान छूट राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

A/C No.	Name	Year	Arrear	Demand	Total	Collection in 2017-18	Rebate	Balance
1/31	Sh. Raj Sharma	2016-17	Arrear on 1.4.16	Demand for the year 2016-17	24360	19694	406	4260
			20300	4060				
6/8	Sh. Davinder Sharma	2017-18	Arrear on 1.4.17	Demand for the year 2017-18	20807	3426	381	17000
			17000	3807				
6/8	Sh. Ram Lal Sharma	2017-18	Arrear on 1.4.17	Demand for the year	29306	4775	531	24000
			24000	5306				
						Total	**1318**	

10.4 नियमों के प्रतिकूल 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान करके गृहकर का निर्धारण/वसूली करने के कारण वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण/वसूली के प्रकरणों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान करके गृहकर का निर्धारण/वसूली की गई थी, जोकि अनियमित है, क्योंकि वर्णित छूट से सम्बन्धित नियमों की धारा 2 (1) में प्रावधान को The HP Municipality (Amendment) Act, 2011 (Act 33 of 2011) जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 2.8.2011 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा समाप्त कर दिया गया है तथा इस संशोधन को सभी कार्यकारी अधिकारी/सचिवों को यथानुसार लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः ULB-H (A)(3)-9/86-III-17741-17788 दिनांक 1.9.2011 द्वारा परिचालित किया गया था तथा अधिसूचना संख्याः UD-A (3) 5/2010 दिनांक 16.02.2012 के अनुसार इसे दिनांक 20.2.2012 से लागू किया जाना था। अतः दिनांक 20.2.2012 से सभी भवन मालिकों से क्षेत्रफल में कोई भी छूट प्रदान किए बिना गृहकर का निर्धारण/वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु ऐसा न करके जहां नियमों की अवहेलना की गई, वहीं नगर पंचायत को आय के रूप में लगातार वित्तीय हानि भी हो रही है। लेखा परीक्षा अधियाचना संख्याः 10 दिनांक 04.10.2019 द्वारा नगर पंचायत से उक्त गृहकर की छूट बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियमों के प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा भवन मालिकों से 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल की छूट प्रदान कर गृहकर का निर्धारण/वसूली करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए अन्यथा नियमानुसार गृहकर का पुनः निर्धारण करके गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख का यथानुसार अद्यतन करते हुए गृहकर की बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.5 गृहकर दाताओं 10% छूट प्रदान करने के कारण नगर पंचायत को आय के रूप में वित्तीय हानि

गृहकर निर्धारण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर दाताओं को गृहकर की राशि नियत समय से पूर्व जमा करवाने पर 10% की दर से छूट प्रदान की गई थी, किन्तु निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र

संख्याः ULB-H(c)(9)-1 दिनांक 8.9.1998 द्वारा परिचालित सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों व दिशा–निर्देशों में गृहकर में ऐसी छूट प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है तथा नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर ऐसी छूट प्रदान करना जहां, अनियमित प्रतीत होता है, वहाँ इस छूट के कारण नगर पंचायत को आय के रूप में वित्तीय हानि भी हुई है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 10 दिनांक 4.10.2019 द्वारा नगर पंचायत से इस छूट दिये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः नियमों के प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा गृहकर दाताओं को गृहकर में 10% छूट प्रदान करने को या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा सभी प्रकरणों में गृहकर में प्रदान की गई छूट की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.6 सरकार के निर्देशानुसार गृहकर की दर में वृद्धि न करने के कारण ₹5.16 लाख की वित्तीय हानि

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः UDH(c) (10)-7/98-II दिनांक 17.11. 2003 के अनुसार अवधि 2002–03 में 7.5% की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि करके अवधि 2006–07 तक गृहकर की दर को 12.5% किया जाना अपेक्षित था, किन्तु नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को निम्न विवरणानुसार ₹516463 गृहकर राजस्व की हानि हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के पैरा 9.4 द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वित्तीय वर्ष	7.5% की दर से गृहकर की मांग की राशि	12.5% की दर से गृहकर की अपेक्षित मांग की राशि	अन्तर (₹)
2017–18	774695	1291158	516463

11 वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 के दौरान देय बिजली उपकर की राशि की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG (B) (1)-9/94 दिनांक 8.11.1999 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना प्रावधित है परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि बिजली विभाग से प्राप्त नहीं हुई और न ही नगर पंचायत द्वारा उक्त राशि की वसूली हेतु कोई प्रयास किये गए थे। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के पैरा 11 द्वारा भी परामर्श दिया गया था, किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए सम्बन्धित विभाग से उक्त राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकडे एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मदिरा शुल्क से प्राप्त आय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर पंचायत परिक्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से नगर पंचायत को वर्ष 2017–18 के दौरान ₹253773 की आय प्राप्त हुई थी तथा वर्ष 2018–19 में मदिरा शुल्क से कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई थी जिसकी प्राप्ति हेतु अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाये। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्राप्त उपरोक्त आय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में आवश्यक अभिलेख का संरक्षण करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.78 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को **परिशिष्ट संख्या "छ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.03.2019 को मोबाईल टावर शुल्क बकाया की ₹78000 वसूली हेतु शेष थी, जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः वर्णित राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर विशेष पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14 संस्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹35.15 लाख का अधिक व्यय करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 के नियम 53 (1) के प्रावधान तथा निदेशक, शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0–एच(ए) 1/87–9237–84 दिनांक 20.06.2001 में दिए गए निर्देशों के अनुसार नगर परिषदों/पंचायतों में स्थापना पर कुल व्यय का एक तिहाई व्यय करने हेतु सीमित किया गया था। अंकेक्षणावधि के दौरान इस मद पर निर्धारित सीमा से निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार ₹3515328 का अधिक व्यय किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः अधिक व्यय की राशि का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में स्थापना पर निर्धारित सीमा के भीतर ही व्यय किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

वर्ष	कुल व्यय (₹)	अपेक्षित एक तिहाई स्थापना व्यय (₹)	वास्तविक स्थापना व्यय (₹)	अधिक किया गया व्यय (₹)
2017–18	17493561.08	5831187.02	7034845.98	1203658.95
2018–19	19201946.00	6400648.00	8712318.00	2311669.33
कुल योग	**36695507.08**	**12231835.69**	**15747163.98**	**3515328.29**

15 पार्किंग निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि में से ₹15 लाख स्थापना पर व्यय करना

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(F)(10) 2/2005-viii-HPIDBEngg call-14295-14313 दिनांक 6.10.17 द्वारा कार पार्किंग के निर्माण हेतु ₹2000000 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से ₹1503233 स्थापना पर व्यय किया गया था। इस प्रकार सरकार के दिशा निर्देशों के प्रतिकूल अनुदानों की राशि को अन्य प्रयोजन पर व्यय करना गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति करने हेतु

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 5 दिनांक 4.10.2019 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि कार पार्किंग के निर्माण की भूमि हस्तांतरण का मामला जिलाधीश सोलन के समक्ष विचाराधीन है तथा भूमि को नगर पंचायत के नाम हस्तांतरण उपरान्त इस कार्य को नगर पंचायत द्वारा अपने स्त्रोत से पूर्ण करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर सरकार द्वारा अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया। अतः वर्णित अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु लाई जाती है।

16 पार्किंग काम्पलैक्स का निर्माण योजना अनुसार उपयुक्त स्थान पर न करने के कारण पार्किंग निर्माण कार्यों पर ₹17.25 लाख का निष्फल व्यय

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि राजीव गाँधी अर्बन रिन्यूऐबल फेसीलिटी (RGURF) के अन्तर्गत निदेशक, शहरी विकास हि0प्र0 द्वारा अर्की में पार्किंग कम्पलेक्स के निर्माण के लिए ₹1.10 करोड़ की डी0पी0आर0 स्वीकृत की गई थी तथा इस कार्य को एक वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। इस कार्य के लिए निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः UD-H(F)(10)-2/2005 RGURF द्वारा दिनांक 20.04.2011 को 20 लाख की राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की गई थी कि इसे उसी प्रयोजन हेतु व्यय किया जाये जिस हेतु यह राशि स्वीकृत की गई है। इसके उपरान्त निदेशालय शहरी विकास के पत्र संख्याः UD-H(F)(10)-2/2005 RGURF-8572-73 दिनांक 04.09.2013 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि चूंकि पार्किंग निर्माण का कार्य नगर पंचायत द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, इसलिए इस कार्य के लिए निम्न दो अवस्थाओं में ही अनुदान निधियों का उपयोग किया जाएः–

(i) यदि नगर पंचायत के पास प्रर्याप्त धन राशि है तो निर्देशालय द्वारा दी गई अनुदान राशि के अतिरिक्त राशि अपने स्त्रोत से व्यय करके इस कार पार्किंग को पूर्ण किया जाए।

(ii) अनुदान के रूप में दी गई राशियों को PPP mode के अनुसार उपयोग करके शेष राशि (private Partners) निजी हिस्सेदारों से ले करके इस कार्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त पार्किंग स्थल की कटिंग, सम्पर्क सडक व रिटेनिंग वाल इत्यादि कार्यो पर ₹1724931 का व्यय किया गया था तथा नगर पंचायत द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2013 द्वारा निदेशक, शहरी विकास से अनुरोध किया गया था कि कोंई भी निजी हिस्सेदार PPP mode के अन्तर्गत कार पार्किंग के कार्य को पूर्ण

करने को तैयार नहीं है इसलिए multi parking complex के स्थान पर open ground parking के निर्माण के लिए अनुदान राशियों को व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि कार पार्किंग के निर्माण कार्य के लिए अप्रैल 2011 में प्राप्त ₹20 लाख में से ₹17.25 लाख के व्यय के बावजूद भी पार्किंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है जिससे न तो जनता को पार्किंग सुविधा प्राप्त हुई और न ही नगर पंचायत को इससे कोई आय प्राप्त हुई। इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 9 दिनांक 04.10.19 द्वारा नगर पंचायत से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में नगर पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि कार पार्किंग Open Ground parking के लिए तैयार है तथा कार पार्किंग का निर्माण मुख्य बाजार सड़क व बस अडडे से दूर किये जाने के कारण शहर वासी इस कार पार्किंग का उपयोग नहीं कर रहे है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्युत्तर से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा कार पार्किंग के निर्माण के लिए उचित स्थान का चयन न करने के कारण नगरवासी उक्त वर्णित कार पार्किंग का उपयोग नहीं कर रहे है जिसके कारण कार पार्किंग पर किया गया ₹1724931 का व्यय निष्फल प्रतीत होता है। अतः कार पार्किंग के लिए योजना अनुसार उचित/उपयुक्त स्थान का चयन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस पार्किंग को नीलामी/किराये पर देने के लिए आवश्यक प्रयास किये जाए ताकि वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रही नगर पंचायत को इससे उचित आय की प्राप्ती हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17.1 समाचार पत्रों में दिये गये विज्ञापनों के लिए रजिस्टर का रख–रखाव न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये परन्तु इन विज्ञापनों की प्रविष्टि किसी भी रजिस्टर/अभिलेख में नहीं की गई जिसके कारण विज्ञापनों के भुगतान में अनियमितता की सम्भावना बनी रहती है क्योंकि विज्ञापन रजिस्टर के अभाव में अंकेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन विज्ञापनों का भुगतान पूर्व में तो नहीं किया गया था। इस प्रकार भुगतानों में दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में विज्ञापनों हेतु एक पृथक रजिस्टर का रख–रखाव किया जाये जिसमें समय–2 पर समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन को दर्ज किया जाये ताकि भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहेः–

17.2 लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के कारण राजस्व हानि

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाने पर ₹23803 का व्यय किया गया थाः–

क्र0सं0	वा0	दिनांक	जिसे भुगतान किया गया	राशि (₹)	उद्देश्य
1	2	01.04.17	जागरण प्रकाशन	9000	नीलामी सूचना
2	7	01.05.17	साप्ताहिक गिरीराज	6282	नीलामी सूचना
	2	20.04.18	दिव्या हिमाचल	5177	नीलामी सूचना
	2	20.04.18	दिव्या हिमाचल	3344	नीलामी सूचना
			कुल योग	**23803**	

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरों पर एवं हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्य से छपवाए जाने अपेक्षित है परन्तु उक्त वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों की अवहेलना करके विज्ञापन सीधे ही अखबारों में उच्च दरों पर छपवाए गए थे जोकि अनियमित है क्योंकि इस अनियमितता के कारण सरकारी राजस्व की हानि हुई है। अतः उक्त अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उच्च सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर इस अनियमितता के कारण हुई वित्तीय हानि पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उचित स्त्रोत से परिषद निधि की भरपाई सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 गौशाला के निर्माण हेतु ₹21.43 लाख का निष्फल व्यय करना

निदेशक, शहरी विकास (हि0प्र0) ने पत्र संख्याः शून्य दिनांक 11.09.15 द्वारा हि0प्र0 की सभी नगर निगम, नगर परिषदों व नगर पंचायतों को सूचित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CPW No. 6631/2014-titles as Bhartya Gouvansh Samvardhan Perished V/S State of H.P. and others की दिनांक 08.01.15 की सुनवाई के दौरान सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को गायों व आवारा पशुओं के लिए गौशाला व गौसदन का निर्माण दिनांक 08.01.15 से 3 माह के भीतर सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए थे तथ इन शरण स्थलों के लिए 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जारी अनुदान राशि से करके उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा गौशाला, गौसदन के निर्माण न करने

की स्थिति में आयुक्त नगर निगम, कार्यकारी अधिकारी व सचिवों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वार्ड नं0 3 में पशु चिकित्सालय के समीप गौ सदन का निर्माण किया गया था जिस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 04.10.19 के प्रति उत्तर में नगर पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि गौ सदन का निर्माण दिनांक 31.08.17 को पूर्ण कर दिया गया है तथा इसके निर्माण पर ₹2142840 का व्यय किया गया है, परन्तु इस गौ सदन को गायों व आवारा पशुओं के शरण स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार गौसदन का निर्माण माह 08/17 में पूर्ण होने के बावजूद गौ सदन का उपयोग न किया जाना उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है तथा इसके निर्माण पर किया गया ₹2142840 का व्यय निष्फल प्रतीत होता है जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः गौसदन को उपयोग करने हेतु शीघ्र अपेक्षित कदम उठाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 वेतन पर ₹0.10 लाख का अधिक भुगतान किया जाना

(1) बकाया वेतन का दो बार भुगतान करने के कारण ₹3453 का अधिक भुगतान

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि श्रीमति लक्ष्मी देवी लिपिक को निदेशालय शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः यू0डी0एच (बी)(1)–16199–5826–27 दिनांक 30.06.15 की अनुपालना में दिनांक 8.7.15 से नियमित किया गया तथा उनको निम्न विवरण अनुसार अवधि 8.7.15 से 31.7.15 तक ₹6900 की वेतन की बकाया राशि देय बनती थीः–

	Basic pay + grade pay	**DA 107%**	**CA**	**HRA**	**Total**	**CPF**	**Total**	**Less recovery of contract period Salary**	**Net amt due**
	5910+1900=7810	8357	200	250	16617				
Pay & allowances due for 8-7-15 to 31-7-15 i.e. for 24 days	6046	6470	155	193	12864	1251	14115	₹7215 (@ ₹9320 p.m.)	6900

इस प्रकार उक्त विवरणानुसार लिपिक को नियमितिकरण के उपरान्त माह 7/2015 का कुल बकाया वेतन व सीपीएफ की राशि ₹6900 देय थी जबकि उन्हें निम्न विवरणानुसार वाउचर संख्या 21 माह 11/15 व वाउचर संख्या 4 माह 12/17 द्वारा ₹12458 का भुगतान किया जोकि ₹5558 अधिक थाः–

Vr.No.	**Month**	**Amt. of Salary/arrear paid (₹)**	**CPF paid (₹)**	**Total amt paid (₹)**
21	11/15	3544	1617	5161
4	12/17	5680	1617	7297
	Total	**9224**	**3234**	**12458**

उपरोक्त के अतिरिक्त लिपिक को अनुबन्ध अवधि 8.7.15 से 31.7.15=24 दिनों तक के वेतन ₹7215 की वसूली न करके पूरे माह की ₹9320 वसूली की गई अर्थात 7 दिनों हेतु (9320–7215)=₹2015 की अधिक वसूली की गई थी। इस प्रकार उन्हें शुद्ध (Nett) 3453 (5558–2105) के वेतन का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) श्री राम करण कनिष्ठ सहायक का गलत वेतन निर्धारण व ACPS का अनियमित लाभ प्रदान करने के कारण ₹0.06 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना

श्री राम करण कनिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका में वेतन निर्धारण की प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से दर्ज किया गयाः–

लिपिक के पद पर नियुक्ति की तिथि	21.7.2010
वेतनमान	5910+1900=₹7810
दिनांक 01.10.2012 में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर लिपिक पद के लागू संशोधित वेतनमान 10300–34800=3200 ग्रेड पे इनका वेतन न्यूनतम वेतन के स्तर 10300+ 3200 ग्रेड पे=13500 पर निर्धारित किया गया	₹13500 (GP 10300 + 3200 GP)
5 वर्ष उपरान्त कार्यालय आदेश संख्या	₹10300–34800+3600 GP

NPA/Estt./2016 दिनांक 31.3.16 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापना (Placement) उपरान्त दिनांक 1.7.15 को दिया गया वेतनमान	
1.7.15 को निर्धारित वेतन	₹11560+3600=15160
1.10.16	₹12020 + 3600=15620
1.10.17	₹12490 + 3600=16090
1.10.2018 (ACPS 4–9–14) के अन्तर्गत दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि जोकि सही नहीं है।	₹12980 + 3600=16580
1.10.18 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹13480 + 3600=17080

श्री राम करण लिपिक की सेवा पंजिका में वर्णित उक्त वेतन निर्धारण की प्रविष्टियों की जाँच मे पाया गया कि उक्त कर्मचारी को 5 वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी0आर0)–बी (7)–64/2010 दिनांक 27.09.12 के अनुसार दिनांक 1.7.15 को स्थापन (Placement) किया गया था जबकि उनका 5 वर्ष का सेवाकाल दिनांक 21.7.15 को पूर्ण हुआ। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को 1.7.15 से 21.7.15 तक कनिष्ठ सहायक के पद की Grade pay का अधिक भुगतान किया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री राम करण कनिष्ठ सहायक को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः फिन (पी0आर0)–बी(7)–64/2010 दिनांक 27.09.2012 के अनुसार सुनिश्चित प्रगतिशील जीविका योजना के आधार के अन्तर्गत दिनांक 1.10.18 से चार वर्ष के सेवाकाल का CPS लाभ प्रदान करते हुए उनका वेतन 12980 + 3600=16580 से बढ़ाकर ₹13480 + 3600=17080 के स्तर पर निर्धारित किया गया था। चूंकि श्री राम करण को इससे पूर्व दिनांक 1.10.12 से संशोधित उच्च ग्रेड पे तथा दिनांक 1.7.2015 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न (Placement) का लाभ प्रदान किया जा चुका था इसलिए वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन (पी0आर0)–बी (7)–64/2010 दिनांक 27.09.2012 द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतनमान दिया जा चुका है, इस सन्दर्भ में वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन (पी0आर0)–बी (7)–64/2010 दिनांक 26.02.2013 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार श्री राम करण को दिनांक 1.10.18 को प्रदान सुनिश्चित प्रगतिशील जीविका योजना का लाभ देय नहीं था। वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप दिनांक 30.9.2019 तक श्री राम करण, कनिष्ठ सहायक को निम्न विवरणानुसार

₹6067 + IR के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से संशोधित वेतन निर्धारित करने के उपरान्त नियमानुसार अधिक भुगतान की गणना संस्था स्तर पर करके संबंधित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	देय वेतन (प्रतिमाह ₹ में)	अन्तर (₹) में	महंगाई भत्ता (₹) /दर में	भुगतान की गई राशि (₹) में
1.7.15 to 20.7.15	11560-3600= 15160	11130 +3200=14330	830	987.70 (119%)	1818 (1172 for 20 days) out of ₹1172, ₹574 recovered as per para No. 19 of audit report for the period 4/2010 to 3/2015 ₹598 +60CPF=658 still to be recovered.
21.7.15 to 30.9.15	11560+3600= 15160	11130+3600= 14730	430	511.70 (119%)	Excess payment recovered as per para No. 19 of audit report for the period 4/2010 to 3/2015
1.10.15 to 31.12.15	11560+3600= 15160	11580+3600= 15180	20	23.80 (119%)	43.80x3=131 (less payment)
1.1.16 to 30.6.16	1560+3600= 15160	11580+3600= 15180	20	25 (125%)	45x6=270 (less payment)
1.7.16 to 30.9.16	11560+3600= 15160	11580+3600= 15180	20	26 (130%)	46x3=138 (less payment)
1.10.16 to 31.12.16	12020+3600= 15620	12040+3600= 15640	20	26 (130%)	46x3=138(less payment)
1.1.17 to 30.6.17	12020+3600= 15620	12040+3600= 15640	20	26.80 (134%)	46.80x6=281 (less payment)
1.7.17 to 30.9.17	12020+3600= 15620	12040+3600= 15640	20	27.4 (137%)	47.4x3=142 (less payment)
1.10.17 to 31.12.17	12490+3600= 16090	12510+3600= 16110	20	27.4(137%)	47.4x3=142 (less payment)
1.1.18	12490+3600=	12510+3600=	20	28(140%)	48x6=288 (less payment)

to 30.6.18	16090	16110			
1.7.18 to 30.9.18	12490+3600= 16090	12510+3600= 16110	20	28.90(144%)	48.80x3=146 (less payment)
1.10.18 to 31.12.18	13480+3600= 17080	13000+3600= 16600	480	691 (144%)	1171.20x3=3514 (Excess payment)
1.1.18 to 31.3.19	13480+3600= 17080	13000+3600=16600	480	710.40 (148%)	1190.40x3=3571 (Excess payment)
		Total excess payment			**7743-1676=6067**

20 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ₹2.13 लाख के विचलन का अनियमित भुगतान

निम्न विवरणानुसार संविदाकारों को निर्माण कार्यों में ₹213843 की विचलन राशि का भुगतान बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया गया था जोकि अनियमित है, क्योंकि नियमानुसार वर्णित राशि का भुगतान ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी से Deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है जोकि अंकेक्षण को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अब या तो इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस अनाधिकृत भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्र0 सं0	कार्य	आबंटन पत्र सं0 व दि0	टैण्डर राशि (₹)	निष्पादित कार्य राशि (₹)	विचलन राशि (₹)	विचलन प्रतिशत (%) में	कम/अधिक
1	Dev. Of Muck dumping site at ward No. 5 phase II (Sh. C/O retaining wall)	NPA/Works/2017-49 Dt. 18.1.17	314823	326135	11312	3.60	अधिक
	C/O Go Sadan near vetneary Hospital, ward No.3	NPA/Works/2016-741 Dt. 9.5.16	1062361	1242412	180051	16.94	अधिक

3	Repair of road from shop of Sh. Bhuwnesher Gupta upto house of Sh.Om Gupta	NPA/Works/2016-741 Dt. 9.5.16	212618	235098	22480	10.57	अधिक

20.1 निर्माण कार्यों का नियमानुसार अभिलेख तैयार न किया जाना व निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना करना

नगर पंचायत के लेखाओं अवधि 1.4.17 से 31.3.19 तक के अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों बिलों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

(i) ठेकेदारों द्वारा टैण्डर में दी गई दरों के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना शैडयूल की दरों से करते हुए कम अथवा आधिक्य प्रतिशत नहीं दर्शाया गया था (Percentage above or below the Scheduled Rates not being referred in comparative statement of tendered rates)

(ii) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा प्रारूप एम, डब्ल्यू—14 पर "कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र" जारी किया जाना आवश्यक है परन्तु इस नियम की पूर्ण अवहेलना करते हुए किसी भी निर्माण कार्य में यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

(iii) संविदाकार द्वारा कार्य में उपयोग किए गए सीमेन्ट के सत्यापन हेतु संविदाकार द्वारा क्रय किए गए सीमेन्ट से सम्बन्धित बिल प्राप्त करके वाउचर के साथ नहीं लगाये गये थे।

21 सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख—रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः LSG-B(1)-1/79-iii दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ—2 इसका रख—रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगर पालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पैन्शन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि

में जमा करवाएगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख–रखाव भी निदेशक द्वारा किया जाएगा परन्तु नगर पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि:–

(क) उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख–रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर पंचायत द्वारा ही किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

(ख) नियमानुसार पैन्शन, ग्रेच्युटी, सामान्य निधि एवं अंशदायी पैन्शन योजना का अलग–अलग बैंक बचत खाता/बही खाता का रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था, किन्तु इसके प्रतिकूल नगर पंचायत द्वारा अंशदायी पैन्शन योजना व सामान्य भविष्य निधि के बैंक में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत खाते खोल रखे थे, जिसमें सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन योजना का नियोक्ता हिस्सा व अंशदायी पैन्शन योजना का कर्मचारी का अभिदान जमा किया गया था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा अनियमित है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 1.4.2009 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख–रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। वर्णित निर्देशों की अनुपालना न करने के कारण जहां निदेशक के आदेशों की उल्लंघना हो रही है, वहीं किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई और किस मद पर कितना खर्च हुआ तथा खर्च की गई राशि अनुमोदित बजट प्रावधान से अधिक तो नहीं या अनुदान से प्राप्त राशि का उसी उद्देश्य हेतु व प्राप्त अनुदान की राशि की सीमा तक ही व्यय किया गया है या नहीं इत्यादि तथ्यों/सूचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

22.1 उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी नगर पंचायत द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा था:–

(1) कॉन्ट्रेक्टर लैजर

(2) सामान्य भविष्य निधि/अंशदाई पैन्शन योजना की रोकड़ बहियां/खाता बहियां

(3) पैन्शन भुगतान रजिस्टर (PCR)

(4) बिजली उपकरण मांग व संग्रहण रजिस्टर

(5) मदिरा शुल्क मांग व संग्रहण रजिस्टर

23 रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19 (3) के अनुसार रोकड़ बही अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था, किन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जोकि उक्त वर्णित प्रावधान के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही को लेखा संहिता के प्रावधानानुसार सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 भण्डार का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापना करेगें तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेगे और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित यिा जाए, ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pilferage की सम्भावना से बचा जा सके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

25 **लघु आपत्ति विवरणिका:—** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नही की गई थी।

26 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार तथा लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस तथा तुरन्त कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / —
(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 —0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या :— (V) 42 / फिन (एल0ए0) खण्ड—3—672—673 दिनांकः14.02.20, शिमला—09.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :— 2 सचिव, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(हेमराज भारद्वाज)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009.
फोन नं0 —0177—2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में**

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.2017 से 31.0319 में सम्मिलित गत अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1967 से 01/1970

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1970 से 03/1972

1	पैरा–4	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1977

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1977 से 03/1981

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (ई)	अनिर्णीत

13	पैरा–14 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (एच)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (आई)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (जे)	अनिर्णीत
17	पैरा–15	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–21	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–25 (सी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1983

1	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1987

1	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–16	अनिर्णीत
7	पैरा–17	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1994

1	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (iii) (जी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत

6	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (i) (के)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (i) (के,एच)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (ii)(के)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (iii)(के)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (iv)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (iv)(के)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (iv)(के, एच)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (iv) (जी)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (iv)(जी, एच)	अनिर्णीत
17	पैरा–11 (iv) (ए0एन0जी0)	अनिर्णीत
18	पैरा–11 (v)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (v)(के)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (v)(के,एच)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (v)(जी)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (v)(जी, एच)	अनिर्णीत
23	पैरा–11 (v)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
24	पैरा–11 (vi)(के)	अनिर्णीत
25	पैरा–11 (vi) (के,एच)	अनिर्णीत
26	पैरा–11 (vii)	अनिर्णीत
27	पैरा–11 (vii)(के)	अनिर्णीत

28	पैरा–11 (vii) (के, एच)	अनिर्णीत
29	पैरा–11 (vii)(जी)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (vii)(जी,एच)	अनिर्णीत
31	पैरा–11 (vii) (ए,एन,जी)	अनिर्णीत
32	पैरा–11 (viii)	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (xi)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (x) (के)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (x) (के, एच)	अनिर्णीत
36	पैरा–11 (xii)	अनिर्णीत
37	पैरा–11 (xii)(के)	अनिर्णीत
38	पैरा–11 (xii) (के, एच)	अनिर्णीत
39	पैरा–11 (xii)(जी)	अनिर्णीत
40	पैरा–11 (xii)(जी, एच)	अनिर्णीत
41	पैरा–11 (xiii)(के)	अनिर्णीत
42	पैरा–11 (xiii) (के, एच)	अनिर्णीत
43	पैरा–11 (xiii)(जी)	अनिर्णीत
44	पैरा–11 (xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा–11 (xv)(के)	अनिर्णीत
46	पैरा–11 (xv)(के, एच)	अनिर्णीत
47	पैरा–11 (xv)(जी)	अनिर्णीत

48	पैरा–11 (xv) (जी,एच)	अनिर्णीत
49	पैरा–11 (xv) (ए0एन0जी)	अनिर्णीत
50	पैरा–11 (xv)(ch)	अनिर्णीत
51	पैरा–11 (xv)(chh)	अनिर्णीत
52	पैरा–11 (xvi) (k)	अनिर्णीत
53	पैरा–11 (xvi) (kh)	अनिर्णीत
54	पैरा–11 (xvi) (g)	अनिर्णीत
55	पैरा–11 (xvii)	अनिर्णीत
56	पैरा–11 (xviii)	अनिर्णीत
57	पैरा–11 (xix)	अनिर्णीत
58	पैरा–11 (xx)	अनिर्णीत
59	पैरा–11 (xxi) (k)	अनिर्णीत
60	पैरा–11 (xxi) (kh)	अनिर्णीत
61	पैरा–11 (xxi) (g)	अनिर्णीत
62	पैरा–11 (xxi) (gh)	अनिर्णीत
63	पैरा–11 (xxi) (ahg)	अनिर्णीत
64	पैरा–11 (xxi) (ch)	अनिर्णीत
65	पैरा–11 (xxi) (chh)	अनिर्णीत
66	पैरा–11 (xxii) (k)	अनिर्णीत
67	पैरा–11 (xxii) (kh)	अनिर्णीत

68	पैरा–12 (i) (k)	अनिर्णीत
69	पैरा–12 (i) (kh)	अनिर्णीत
70	पैरा–12 (i) (g)	अनिर्णीत
71	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत
72	पैरा–12 (iii)	अनिर्णीत
73	पैरा–12 (iv)	अनिर्णीत
74	पैरा–12 (v)	अनिर्णीत
75	पैरा–12 (vi)	अनिर्णीत
76	पैरा–13	अनिर्णीत
77	पैरा–14	अनिर्णीत
78	पैरा–15 (i)	अनिर्णीत
79	पैरा–15 (iv)	अनिर्णीत
80	पैरा–15 (v)	अनिर्णीत
81	पैरा–15 (vi)	अनिर्णीत
82	पैरा–16 (i)	अनिर्णीत
83	पैरा–16 (iii)(k)	अनिर्णीत
84	पैरा–16 (iii)(kh)	अनिर्णीत
85	पैरा–16 (iii)(g)	अनिर्णीत
86	पैरा–17 (i)	अनिर्णीत
87	पैरा–17 (ii)(Kh)	अनिर्णीत
88	पैरा–18	अनिर्णीत
89	पैरा–18 (k)	अनिर्णीत
90	पैरा–18 (kh)	अनिर्णीत
91	पैरा–19	अनिर्णीत
92	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
93	पैरा–20 (i) (k)	अनिर्णीत
94	पैरा–20 (i) (kh)	अनिर्णीत
95	पैरा–20 (ii) (g)	अनिर्णीत
96	पैरा–20 (iii)	अनिर्णीत

N.P. Arki

97	पैरा–20 (iv)	अनिर्णीत
98	पैरा–20 (v) (k)	अनिर्णीत
99	पैरा–20 (v) (kh)	अनिर्णीत
100	पैरा–20 (vi)	अनिर्णीत
101	पैरा–20 (vii) (k)	अनिर्णीत
102	पैरा–20 (viii)	अनिर्णीत
103	पैरा–20 (ix)	अनिर्णीत
104	पैरा–20 (ix) (k)	अनिर्णीत
105	पैरा–20 (ix) (kh)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(kh)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(k)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(g)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(gh)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ang)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ch)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(chh)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(j)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(jh))	अनिर्णीत
14	पैरा 7(ch)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(k)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(kh)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10(kh)(i)	अनिर्णीत
19	पैरा 10(kh)(ii)	अनिर्णीत

20	पैरा 10(kh)(iii)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 13	अनिर्णीत
23	पैरा 14	अनिर्णीत
24	पैरा 15(k)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(k)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(ang)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(kh)(i)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(kh)(iii)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(kh)(iv)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(kh)(v)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(kh)(vi)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(kh)(vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 16	अनिर्णीत
34	पैरा 17(k)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 17(k)(ii)	अनिर्णीत
36	पैरा 17(k)(iii)	अनिर्णीत
37	पैरा 17(k)(iv)	अनिर्णीत
38	पैरा 17(kh)(i)	अनिर्णीत
39	पैरा 17(kh)(ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 17(kh)(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 17(kh)(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 17(g)(i)	अनिर्णीत
43	पैरा 17(g)(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 17(g)(iii)	अनिर्णीत
45	पैरा 17(gh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 17(gh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 17(gh)(iii)	अनिर्णीत
48	पैरा 17(gh)(iv)	अनिर्णीत

49	पैरा 17(ang)(i)	अनिर्णीत
50	पैरा 17(ang)(ii)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(ang)(iii)	अनिर्णीत
52	पैरा 17(ang)(iv)	अनिर्णीत
53	पैरा 17(ang)(v)	अनिर्णीत
54	पैरा 17(ang)(vi)	अनिर्णीत
55	पैरा 17(ch)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 17(ch)(ii)	अनिर्णीत
57	पैरा 17(ch)(iii)	अनिर्णीत
58	पैरा 17(ch)(iv)	अनिर्णीत
59	पैरा 17(chh)(i)	अनिर्णीत
60	पैरा 17(chh)(ii)	अनिर्णीत
61	पैरा 21(k)	अनिर्णीत
62	पैरा 21(kh)	अनिर्णीत
63	पैरा 21(g)	अनिर्णीत
64	पैरा 21(gh)	अनिर्णीत
65	पैरा 22	अनिर्णीत
66	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
67	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
68	पैरा 24(j)	अनिर्णीत
69	पैरा 24(yen)	अनिर्णीत
70	पैरा 25	अनिर्णीत
71	पैरा 26(iv)	अनिर्णीत
72	पैरा 26(v)	अनिर्णीत
73	पैरा 26(vi)	अनिर्णीत
74	पैरा 26(vii)	अनिर्णीत
75	पैरा 26(viii)	अनिर्णीत
76	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
77	पैरा 26(x)	अनिर्णीत

78	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
79	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
80	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
81	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
82	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
83	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
84	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
85	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
86	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
87	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
88	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
89	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
90	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
91	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
92	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
93	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
94	पैरा 26(xix)	अनिर्णीत
95	पैरा 26(xx)	अनिर्णीत
96	पैरा 26(xxi)	अनिर्णीत
97	पैरा 26(xxiii)	अनिर्णीत
98	पैरा 26(xxiv)	अनिर्णीत
99	पैरा 28	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2005

1	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(gh)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(gh)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत

6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(k)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(kh)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(k)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(kh)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(kh)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(kh)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(kh)(iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(kh)(v)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(kh)(vi)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(kh)(vii)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(kh)(viii)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(kh)(x)	अनिर्णीत
23	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(kh)(xii)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(kh)(xiii)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(kh)(xiv)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(kh)(xv)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(kh)(xvi)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(kh)(xvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(kh)(xviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(kh)(xix)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(g)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(g)(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(chh)	अनिर्णीत

35	पैरा 11(ang)	अनिर्णीत
36	पैरा 11(ch)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
39	पैरा 13	अनिर्णीत
40	पैरा 14	अनिर्णीत
41	पैरा 15	अनिर्णीत
42	पैरा 16	अनिर्णीत
43	पैरा 17	अनिर्णीत
44	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
45	पैरा 18(kh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 18(kh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 18(g)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 18(g)(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 18(gh)(i) & (ii)	अनिर्णीत
50	पैरा 18(ang)	अनिर्णीत
51	पैरा 18(ch)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(chh)(i)	अनिर्णीत
53	पैरा 18(chh)(ii)	अनिर्णीत
54	पैरा 18(j)	अनिर्णीत
55	पैरा 18(j)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 18(nh)	अनिर्णीत
57	पैरा 18(t)(i)	अनिर्णीत
58	पैरा 18(t)(ii)	अनिर्णीत
59	पैरा 18(th)	अनिर्णीत
60	पैरा 18(dh)(i)	अनिर्णीत
61	पैरा 18(dh)(ii)	अनिर्णीत
62	पैरा 18(dh)(iii)	अनिर्णीत
63	पैरा 18(adn)(i)	अनिर्णीत

64	पैरा 18(adn)(ii)	अनिर्णीत
65	पैरा 18(adn)(iii)	अनिर्णीत
66	पैरा 18(anh)(i)	अनिर्णीत
67	पैरा 18(anh)(ii)	अनिर्णीत
68	पैरा 18(t)	अनिर्णीत
69	पैरा 18(n)	अनिर्णीत
70	पैरा 18(p)	अनिर्णीत
71	पैरा 18(ph)	अनिर्णीत
72	पैरा 18(b)	अनिर्णीत
73	पैरा 19(kh)	अनिर्णीत
74	पैरा 19(g)	अनिर्णीत
75	पैरा 19(gh)(i)	अनिर्णीत
76	पैरा 19(gh)(ii)	अनिर्णीत
77	पैरा 19(gh)(iii)	अनिर्णीत
78	पैरा 19(ang)	अनिर्णीत
79	पैरा 19(ch)	अनिर्णीत
80	पैरा 19(chh)(i)	अनिर्णीत
81	पैरा 19(chh)(ii)	अनिर्णीत
82	पैरा 19(chh)(iii)	अनिर्णीत
83	पैरा 19(chh)(iv)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(j)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(j)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(j)(iii)	अनिर्णीत
87	पैरा 19(jh)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(jh)(ii)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(jh)(iii)	अनिर्णीत
90	पैरा 20(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 20(kh)	अनिर्णीत
92	पैरा 20(g)	अनिर्णीत

93	पैरा 20(gh)	अनिर्णीत
94	पैरा 20(ch)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ch)(i)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ch)(ii)	अनिर्णीत
97	पैरा 20(ch)(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(ch)(iv)	अनिर्णीत
99	पैरा 20(ch)(v)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(ch)(vi)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(ch)(vii)	अनिर्णीत
102	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
103	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
104	पैरा 22(kh)	अनिर्णीत
105	पैरा 22(g)	अनिर्णीत
106	पैरा 23(k)	अनिर्णीत
107	पैरा 23(kh)	अनिर्णीत
108	पैरा 23(g)	अनिर्णीत
109	पैरा 23(gh)(i)	अनिर्णीत
110	पैरा 23(ch)(i)	अनिर्णीत
111	पैरा 23(chh)	अनिर्णीत
112	पैरा 23(j)	अनिर्णीत
113	पैरा 23(jh)	अनिर्णीत
114	पैरा 23(anh)	अनिर्णीत
115	पैरा 23(t)	अनिर्णीत
116	पैरा 24(k)	अनिर्णीत
117	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
118	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
119	पैरा 25(i)	अनिर्णीत
120	पैरा 25(iii)	अनिर्णीत
121	पैरा 26(k)	अनिर्णीत

122	पैरा 26(kh)	अनिर्णीत
123	पैरा 26(g)	अनिर्णीत
124	पैरा 26(gh)	अनिर्णीत
125	पैरा 26(ang)	अनिर्णीत
126	पैरा 26(ch)	अनिर्णीत
127	पैरा 26(chh)	अनिर्णीत
128	पैरा 27	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(डी)(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(जी)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(x)(b)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(v)	अनिर्णीत

21	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
22	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 4.3	अनिर्णीत
2	पैरा 4.4	अनिर्णीत
3	पैरा 4.5	अनिर्णीत
4	पैरा 5	अनिर्णीत
5	पैरा 6.1	अनिर्णीत
6	पैरा 6.2	अनिर्णीत
7	पैरा 6.2.1	अनिर्णीत
8	पैरा 6.2.2	अनिर्णीत
9	पैरा 6.5	अनिर्णीत
10	पैरा 6.7	अनिर्णीत
11	पैरा 6.8	अनिर्णीत
12	पैरा 6.10	अनिर्णीत
13	पैरा 6.11	अनिर्णीत
14	पैरा 7	अनिर्णीत
15	पैरा 7, 7.1.1 & 7.1.2	अनिर्णीत
16	पैरा 7.2 to 7.2.3	अनिर्णीत
17	पैरा 7.3	अनिर्णीत
18	पैरा 8.1	अनिर्णीत
19	पैरा 8.3	अनिर्णीत
20	पैरा 8.3.1	अनिर्णीत
21	पैरा 8.3.2	अनिर्णीत
22	पैरा 8.4	अनिर्णीत
23	पैरा 8.5	अनिर्णीत
24	पैरा 8.6	अनिर्णीत

25	पैरा 8.7	अनिर्णीत	
26	पैरा 8.8	अनिर्णीत	
27	पैरा 8.9	अनिर्णीत	
28	पैरा 8.9.1	अनिर्णीत	
29	पैरा 8.9.2	अनिर्णीत	
30	पैरा 8.9.4	अनिर्णीत	
31	पैरा 8.10	अनिर्णीत	
32	पैरा 9	अनिर्णीत	
33	पैरा 9.3	अनिर्णीत	
34	पैरा 10	अनिर्णीत	
35	पैरा 10.2	अनिर्णीत	
36	पैरा 11.1	अनिर्णीत	

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2015

1	पैरा 4.4	अनिर्णीत	
2	पैरा 5.1	निर्णीत	(अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित स्थिति आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई है)
3	पैरा 5.2	अनिर्णीत	
4	पैरा 5.3	निर्णीत	(अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित स्थिति आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई है)
5	पैरा 5.4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.15 से 31.03.17 में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
6	पैरा 11		
7	पैरा 12	अनिर्णीत	
8	पैरा 13	अनिर्णीत	
9	पैरा 15	अनिर्णीत	

10	पैरा 16	अनिर्णीत	
11	पैरा 17	अनिर्णीत	
12	पैरा 18	अनिर्णीत	
13	पैरा 19.3	अनिर्णीत	
14	पैरा 20	अनिर्णीत	
15	पैरा 21	अनिर्णीत	
16	पैरा 22	अनिर्णीत	
17	पैरा 23	अनिर्णीत	
18	पैरा 24	अनिर्णीत	
19	पैरा 25	अनिर्णीत	
20	पैरा 26	अनिर्णीत	
21	पैरा 27	अनिर्णीत	
22	पैरा 28	अनिर्णीत	
23	पैरा 29	अनिर्णीत	
24	पैरा 30	अनिर्णीत	
25	पैरा 31	अनिर्णीत	
26	पैरा 32	अनिर्णीत	
27	पैरा 33	अनिर्णीत	
28	पैरा 34	अनिर्णीत	
29	पैरा 35	अनिर्णीत	
30	पैरा 36	अनिर्णीत	
31	पैरा 37	अनिर्णीत	
32	पैरा 38	अनिर्णीत	
33	पैरा 39	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.15 से 31.03.17 में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत / समाप्त)
34	पैरा 40	अनिर्णीत	
35	पैरा 43	अनिर्णीत	

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत)
2	पैरा 4, 4.1 व 4.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
3	पैरा 4.3	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
4	पैरा 5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
5	पैरा 5.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
6	पैरा 5.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
7	पैरा 5.3	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
8	पैरा 6	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
9	पैरा 7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
10	पैरा 8	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)

11	पैरा 9	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
12	पैरा 9.1	निर्णीत	
13	पैरा 9.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
14	पैरा 9.3	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
15	पैरा 9.4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
16	पैरा 10	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
17	पैरा 10.1	निर्णीत	
18	पैरा 10.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
19	पैरा 11	अनिर्णीत	
20	पैरा 12	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
21	पैरा 13	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
22	पैरा 14	अनिर्णीत	
23	पैरा 15 (क)	निर्णीत	(₹1257 की वसूली उपरान्त)

24	पैरा 15 (ख)	निर्णीत	(₹778 की वसूली उपरान्त)
25	पैरा 16 (i)	निर्णीत	(₹646 की वसूली उपरान्त)
26	पैरा 16 (ii)	अनिर्णीत	
27	पैरा 16 (iii)	निर्णीत	(₹486 की वसूली उपरान्त)
28	पैरा 17	अनिर्णीत	
29	पैरा 18	अनिर्णीत	
30	पैरा 19	निर्णीत	
31	पैरा 20	निर्णीत	
32	पैरा 21	अनिर्णीत	
33	पैरा 22	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)
34	पैरा 23	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त)

अनिर्णीत पैरों का सार

प्रारम्भिक शेष	500
वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरे	21
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत पैरे	32
अन्तशेष	**489**